कार्यालय, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक–वा0क0अधि0/परिपत्र/स्था0 2026–27/1631/2026. लखनऊ::दि0::मई, 18 ,2026

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश सं0–2/2026/93/सामान्य/सैंतालीस–का–4–2026–1/3/96 दिनांक 06.05.2026 द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति वर्ष 2026–27 निर्गत की गई है। उक्त शासनादेश के पैरा–7 में उल्लिखित है कि समस्त स्थानांतरण दिनांक 15.05.2026 से प्रारंभ करते हुए दिनांक 31.05.2026 तक पूर्ण कर लिए जाएं। उपरोक्त के सन्दर्भ में निर्देशानुसार अवगत कराना है कि मुख्यालय के आदेशांक–1594/26 दिनांक 15.05.2026 द्वारा वाणिज्य कर अधिकरण के अधिष्ठान में कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्रों पर विचार किये जाने हेतु दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

अतः समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण अन्तर्गत उ0प्र0 को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जो स्वेच्छा से अपना स्थानान्तरण चाहते हैं, वह अपना प्रार्थना पत्र विलम्बतम दिनांक 23.05.2026 तक प्रत्येक दशा में ई–मेल, व्हाट्सएप व अन्य किसी डाक से मुख्यालय प्रेषित करें, जिससे उनके प्रार्थना पत्रों पर समिति द्वारा विचार किया जा सके। यदि इसके पश्चात् जिन कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, उन पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। प्रार्थना पत्रों पर अंतिम निर्णय का अधिकार माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ में निहित होगा। उक्त परिपत्र को कार्यालय के समस्त तृतीय/चतृर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अंकित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्र0निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
2. वरिष्ठ सहायक, विवरण मुख्यालय।
3. वेव अधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. वरिष्ठ सहायक–स्थापना–1 व 2 मुख्यालय।

प्र0निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।